रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25092026-276511
CG-MH-E-25092026-276511

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948
No. 774]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 24 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 844(अ).— केंद्रीय सरकार,(संशोधन)रेल अधिनियम,2008की धारा 2 केखंड 37 कद्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले मे **रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाईन (41.38 कि.मी.)** नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, **अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) व भू-अर्जन अधिकारी-रतलाम ग्रामीण,जिला-रतलाम (म.प्र.)** को लिखित रुप मे किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप से या कानुनी प्रेक्टिशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों

की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नही करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और इच्छूक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में **रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाईन (41.38 कि.मी.) परियोजना**"नाम की विशेषरेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण-

जिले का नाम :-रतलाम

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार सिंचित/ असिंचित
1	2	3	4	5	6	7
1	रतलाम ग्रामीण	बांगरौद	22	1565/2	0.406	सिंचित
2				1564/3	0.039	सिंचित
3				1564/1	0.111	असिंचित
4				1561	0.186	असिंचित
5				1560/2	0.034	असिंचित
6				1559/2	0.010	सिंचित
			योग	**06**	**0.786**	

[फा. सं. ई - 645064-04]

कन्हैया झा, मुख्य इंजीनियर, (निर्माण)-III

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2026

G.S.R. 844(E).— In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2of the AmendmantRailways Act, 2008 (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project, namely, **"Ratlam-Nagda 3rd and 4th line (41 Km)** Project" in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Ratlam RuralDistrict-Ratlam (M.P.)**in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

ANNEXURE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, **"Ratlam-Nagda 3rd and 4th line (41.38 Km)** Project " in the state of Madhya Pradesh.

Name of District: Ratlam

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H.No.	Khasara No.	Acquired Land Area In Hect.	Type of Land Irrigated / Unirrigated
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratlam Rural	Bangrod	22	1565/2	0.406	Irrigated
2				1564/3	0.039	Irrigated
3				1564/1	0.111	Unirrigated
4				1561	0.186	Unirrigated
5				1560/2	0.034	Unirrigated
6				1559/2	0.010	Irrigated
			TOTAL	06	0.786	

[F. No. E- 645064-04]

KANHAIYA JHA, Chief Engineer, (Construction)-III

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA